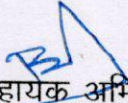
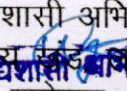


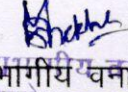
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से
इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

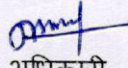
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई
निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत
स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, नै. नि. वि.
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, नै. नि. वि.
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर


वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत
वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (वज्युला)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।